रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1981/माघ 1, 1902
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1981/MAGHA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1981

का० आ० 43 (अ)/18-ख ख/उ० वि० वि० आ०/80.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-ख ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 39(अ)/18-ख ख/उ० वि० वि० आ०/77, तारीख 22 जनवरी, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि :—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), इन अनुकूलनों सहित कि उक्त अधिनियम की धारा 9-क के अध्याय 5-क और 5-ख और धारा 33-ग का लोप किया जाएगा, मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन या औद्योगिक उपक्रमों को लागू होगा, और

(ख) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्मति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन (उनसे भिन्न जिनका सम्बन्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनके उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी कम्पनी पक्षकार है या जो यथास्थिति, उन औद्योगिक उपक्रमों या कम्पनी को लागू होते हों, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन, प्रोद्भूत या उद्भूत सभी या कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलम्बित रहेंगे ,

और उक्त आदेश की अवधि को समय-समय पर 21 जनवरी, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए बढ़ा दिया गया था ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को 14 सितम्बर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 14 सितम्बर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा० सं० 2(4)/80-सी० यू० सी०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 21st January, 1981

S.O. 43 (E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 39 (E)/18FB/ IDRA/77 dated the 22nd January, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that,—

(a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings owned by Messrs. Bengal Potteries Limited, Calcutta, with the adaptations that section 9A, Chapters VA and VB and section 33 C of the said Act shall be omitted, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings are parties, or the company owning such industrial undertakings is a party or which may be applicable to the industrial undertakings or the company, as the case be, and all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing thereunder before the said date shall remain suspended ;

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time upto and inclusive of the 21st January, 1981;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 14th September, 1981 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extend the duration of the said Order upto and inclusive of the 14th September, 1981.

[File No. 2(4)/80-CUC]

आदेश

का० आ० 44(अ).—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 426(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/74, तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को मैसर्स एसोसियेटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम के (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) रसायन एकक का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ;

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी प्रकार लागू होता रहेगा जिस प्रकार वह धारा 18कक के अधीन आदेश जारी किए जाने के पूर्व इसे लागू था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंध	के अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तंभ (1) में उल्लिखित उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे ।
(1)	(2)
धारा 166 और 210	यद्यपि कम्पनी का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष रखा जाना जरूरी नहीं है क्योंकि उस अवधि के दौरान जब कम्पनी का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन किया जाता है, ऐसा अधिवेशन किए जाने से छूट दी जा रही है फिर भी तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा पहले की भांति विहित समय के भीतर तैयार कराया जाएगा और अन्य कानूनी विवरणियों के साथ-साथ कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा । दूसरे शब्दों में, प्राधिकृत नियंत्रक को, रजिस्ट्रार के पास तुलन-पत्र फाइल करने के प्रयोजन के लिए धारा 220 का अनुपालन करना होगा ।
धारा 217	छूट केवल इस सीमा तक अनुदत्त की जाती है कि बोर्ड की रिपोर्ट ऊपर लिखित कारणों से वार्षिक साधारण अधिवेशन के समय रखी जानी अपेक्षित नहीं होगी किन्तु अन्य सभी को बाबत अनुपालन आवश्यक होगा ।
धारा 224 और 225	इन धाराओं के अनुपालन से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट दी जाती है कि संपरीक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा जिससे संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय अभिप्रेत है, की जाएगी ।
धारा 293(1)(घ)	इस धारा के अनुपालन से छूट दी जाती है ।
धारा 169 और 219	इस धारा के अनुपालन से छूट दी जाती है ।

[फा० सं० 4(4)/80-सी० यू० सी०]

आर० एन० चोपड़ा, अपर सचिव

S.O.44(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426 (E)/18AA/IDRA/74 dated the 8th July, 1974 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby authorise the Assam Industrial Development Corporation Limited, to take over the management of the Chemical Unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18 E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the said

industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking.
(1)	(2)
Sections 166 and 210	While the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company need not be laid before the annual general meeting as the exemption is granted from such meetings during the period when the Company is managed under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Balance Sheet and Profit and Loss Account may be prepared as usual within the prescribed time and shall be filed with the Registrar of Companies along with other statutory returns. In other words section 220 shall have to be complied with by the authorised Controller for the purpose of filing the Balance Sheet with the Registrar.
Section 217	The exemption is granted only to the extent that Board's report is not required to be placed before the annual general meeting for the reasons stated above but compliance shall be necessary in all other respects.
Sections 224 and 225	Exemption from the compliance of these sections is granted subject to the condition that the auditors shall be appointed by the Government which means the administrative Ministry concerned.
Section 293 (1)d)	Exemption is granted from compliance of these sections.
Sections 169 and 219	Exemption is granted from compliance of these sections.

[F.No. 4(4)/80-CUC]
R.N.CHOPRA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981